



प्रेषक,

विनोद कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-9

लखनऊ:दिनांक 29 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में 108 ई0एम0टी0एस0 एम्बुलेन्स सेवा, ए0एल0एस0 एम्बुलेन्स सेवा एवं नेशनल मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा के संचालन के सापेक्ष व्यय भार की धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-29फ/10(14)26/184, दिनांक 16.01.2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 108 ई.एम.टी.एस. सेवा, एडवांस लाइफ सपोर्ट एवं मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन के निर्बाध एवं सुगम संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-32 में बचत स्वरूप उपलब्ध धनराशि रु. 52884.77 लाख (रु. पाँच अरब अठ्ठाईस करोड़ चौरासी लाख सतहत्तर हजार मात्र) को संलग्न बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से अनुदान संख्या-32 के राजस्व लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 110-अस्पताल तथा औषधालय 03-108 ई.एम.टी.एस. सेवा का संचालन 42-अन्य व्यय के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि रु. 52884.77 लाख (रु. पाँच अरब अठ्ठाईस करोड़ चौरासी लाख सतहत्तर हजार मात्र) की बजट व्यवस्था कराते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदया निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करती हैं:-

(1) उक्त एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन हेतु की गयी निविदा की समयावधि समाप्त हो जाना प्राकल्पित है, अतः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 108 ई.एम.टी.एस. सेवा, एडवांस लाइफ सपोर्ट एवं मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन हेतु पूर्व में भुगतान की गयी एवं प्रस्तावित भुगतान धनराशि के प्रति विशेष आंतरिक लेखा संपरीक्षा कराए जाने पर विचार करना चाहेंगे।

(2) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 सेवा प्रदाता पर लगाये गए शास्ति (पेनाल्टी) की Separate Accounting किये जाने पर विचार करते हुए यह सुनिश्चित कर लेंगे कि अर्थदंड/शास्ति की धनराशि वसूल कर ली गयी है तथा इसका यथा स्थान पुस्तान्कन कर लिया गया है।

(3) सेवा प्रदाता को प्रस्तावित भुगतान में प्रोत्साहन धनराशि/ इंसेंटिव भी सम्मिलित है। प्रशासकीय विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रोत्साहन धनराशि के सापेक्ष सेवा प्रदाता द्वारा दावा की गयी सेवाएँ विभाग को सत्यापित रूप से प्राप्त हो गयी हैं और प्रोत्साहन धनराशि दिया जाना औचित्य पूर्ण है।

(4) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से उक्त एम्बुलेंस सेवाओं के ऑपरेशनल कास्ट के अतिरिक्त मांग की धनराशि के आंकलन/शुद्धता/सत्यता के सम्बन्ध में महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (5) अगर प्रश्नगत प्रकरण में कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० स्वयं उत्तरदायी होंगे।
- (6) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० द्वारा 108 ई.एम.टी.एस. सेवा, एडवांस लाइफ सपोर्ट एवं मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों/शर्तों/प्रतिबंधों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (7) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० सेवा प्रदाता को दिए गए इन्सेन्टिव व लगाये गए शास्ति (पेनाल्टी) के सापेक्ष किये गए वास्तविक भुगतान की धनराशि का स्वस्तर पर पुनः परीक्षण करते हुए भुगतान की अपरिहार्यता एवं देय धनराशि के आकड़ों की शुद्धता से स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
- (8) केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर की तुलना में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर में अन्तर का वहन राज्य सरकार द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में सक्षम स्तर के अनुमोदन से महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
- (9) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।
- (10) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
- (11) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
- (12) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 यथासंशोधित में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (13) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।
- (14) महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० प्रश्नगत सेवा हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्व में किये गये भुगतान का विवरण शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,28,84,77,000 (रुपये पाँच अरब अट्ठाईस करोड़ चौरासी लाख सतहतर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 032 लेखाशीर्षक 2210031100300108 ई०एम०टी०एस० "स्वास्थ्य सेवा" का संचालन मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विनोद कुमार)

विशेष सचिव।

संख्या-42/2025/ए-6(1)/001-001-5-9099/30/2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकर (प्रथम), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।
- 2- महालेखाकर (द्वितीय), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज ।
- 3- महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, (इलाहाबाद) प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 4- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
- 5- मुख्य कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें/एन०एच०एम०, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-३/नियोजन अनुभाग-४, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 8- वित्त संशोधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ०प्र० शासन।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या-42/2026-ए-6-001-5-9099-30-2026, तददिनांक।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A005-20252026-30-2025

विषय:- 108 ई0एम0टी0एस0 एम्बुलेन्स सेवा, एडवांस लाइफ सपोर्ट एवं मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन हेतु राज्य बजट में अतिरिक्त व्यय भार हेतु अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
032	2210011100400 (एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय)	03 (मंहगाई भत्ता)	11,22,00,00,000 रुपये ग्यारह अरब बाईस करोड़ मात्र	2,64,42,38,000 रुपये दो अरब चौंसठ करोड़ बयालीस लाख अड़तीस हजार मात्र	2,64,42,38,000 रुपये दो अरब चौंसठ करोड़ बयालीस लाख अड़तीस हजार मात्र	2,64,42,38,000 रुपये दो अरब चौंसठ करोड़ बयालीस लाख अड़तीस हजार मात्र	8,57,57,62,000 रुपये आठ अरब सत्तावन करोड़ सत्तावन लाख बासठ हजार मात्र	2025-2026
032	2210011100400 (एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय)	01 (वेतन)	18,70,00,00,000 रुपये अठारह अरब सत्तर करोड़ मात्र	2,64,42,39,000 रुपये दो अरब चौंसठ करोड़ बयालीस लाख उनतालीस हजार मात्र	2,64,42,39,000 रुपये दो अरब चौंसठ करोड़ बयालीस लाख उनतालीस हजार मात्र	2,64,42,39,000 रुपये दो अरब चौंसठ करोड़ बयालीस लाख उनतालीस हजार मात्र	16,05,57,61,000 रुपये सोलह अरब पाँच करोड़ सत्तावन लाख इकसठ हजार मात्र	2025-2026
कुल					₹ 5,28,84,77,000	₹ 5,28,84,77,000		

निम्नलिखित निधियो में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
032	2210031100300 (108 ई0एम0टी0एस0 स्वास्थ्य सेवा का संचालन)	42 (अन्य व्यय)	2,00,00,00,000 रुपये दो अरब मात्र	5,28,84,77,000 रुपये पाँच अरब अट्ठाईस करोड़ चौरासी लाख सतहत्तर हजार मात्र	5,28,84,77,000 रुपये पाँच अरब अट्ठाईस करोड़ चौरासी लाख सतहत्तर हजार मात्र	7,28,84,77,000 रुपये सात अरब अट्ठाईस करोड़ चौरासी लाख सतहत्तर हजार मात्र	2025-2026

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
कुल				₹ 5,28,84,77,000	₹ 5,28,84,77,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

- (1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/ 2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित दिशा निर्देशों/प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (2) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गई है।

(1) उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

प्रस्तावित मदों में वित्तीय वर्ष, 2025-26 के अन्तर्गत रुपये 52884.77 लाख की बचत सम्भावित है।

(2) उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

वित्तीय वर्ष, 2025-26 में 108 ई0एम0टी0एस0 सेवा, एडवांस लाइफ सपोर्ट एवं मोबाइल मेडिकल यूनिट के संचालन के निर्बाध एवं सुगम संचालन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा मांग की गयी अतिरिक्त धनराशि रुपये 52884.77 लाख की व्यवस्था पुनर्विनियोग के माध्यम से कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

संख्या: आर ई-संख्या-बजट-630-2025-26, दिनांक- 24 मार्च, 2026

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(आनन्द प्रकाश)
उप सचिव।

(कपिल देव भारती)
उप सचिव।

संख्या-42/2026/ए-6(1)/-001-5-9099-30-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. संबंधित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियन्त्रण), अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त लेखा अनुभाग।
6. वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)।

आज्ञा से,

(आनन्द प्रकाश)

उप सचिव।

<http://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।